न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 719/2024

अनवान : –

1. हरमीतसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील हनुमानगढ़।
2. अमनदीप कौर पुत्री गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. अरमान पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. गगनदीप पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
6. नवजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
7. सुमन पत्नी संतलाल जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
8. कविता पत्नी प्रकाश चन्द्र जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

10. माडुराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 05/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 56/43 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी का 8153/63250 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1223/6325 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 8153/189750 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 4077/63250 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 8153/189750 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 8153/189750 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 4077/63250 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 132/112 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में वादी का 2953/45540 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 295/1518 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2953/136620 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1477/45540 हिस्सा, प्रतिवादी [illegible] हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 2953/136620 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का [illegible] हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता [illegible] कुल 4.0480 है[illegible] में वादी का 675/4048 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 6[illegible]/8096 हिस्सा, प्रति[illegible] संख्या 3 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

391/1760 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 391/1760 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 391/1760 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 675/8096 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 675/8096 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 14/14 की कुल 6.0580 हैक्ट भूमि मे वादी अकेला 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/9 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.4420 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बंटवारा के अनुसार वाद काश्त करते है तथा मुताबिक बंटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करते है तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक बंटवारा के अनुसार निम्न प्रकार से काश्त करते आ रहे है–

1. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पास– रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 56/4 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 14/14 की कुल तादादी 6.0580 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 132/112 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 व 6 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 का हिस्सा यथावत रहेगा।

2. प्रतिवादी संख्या 1 के पास– रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 94/5 की कुल तादादी 4.0480 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा।

3. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास– रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.4420 हैक्ट भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे। उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी अपना हक व हिस्सा अलग अलग दर्ज करव पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वाद भूमि का खाता व लगान अच्छी व मंदी भूमि के हिसाब से अलग करवा लेवे ताक कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने क[illegible] सं0 1 ता 8 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुबोध शर्मा ने वकालतनामा [illegible] जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री [illegible] प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि है वादी ने अपना खाता व लगान अलग करवाने हेतु यह दावा पेश किया है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने खाता व लगाान अलग करवाने का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 56/43 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 132/112 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 94/8 की कुल तादादी 4.0480 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 14/14 की कुल 6.0580 हैक्ट भूमि स्थित है एवं रोही मौज चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/22 की कुल 1. 4420 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खतोदार काश्तकार है। वादी ने अपना खाता व लगान अलग करवाने हेतु दावा पेश किया है संयुक्त खाते का कोई भी खातेदार काश्तकार रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी व मंदी भूमि के हिसाब से अपना खाता व लगान अलग करवा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 56/43 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 1[illegible]14 [illegible] कुल तादादी 6.0580 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तह[illegible] 132/112 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण स[illegible]ा 3 व 6 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा यथावत रहेगा तथा रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 94/5 की कुल तादादी 4.0480 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.4420 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:28 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 719/2022

अनवान : –

1. हरमीतसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील हनुमानगढ़।
2. अमनदीप कौर पुत्री गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. अरमान पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. गगनदीप पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
6. नवजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 आरपीएम तहसील नोहर।
7. सुमन पत्नी संतलाल जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
8. कविता पत्नी प्रकाश चन्द्र जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

10. माडुराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 719 सन 2022 निर्णय दिनांक – 05/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 56/43 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 14/14 की कुल तादादी 6.0580 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 132/112 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 व 6 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा यथावत रहेगा तथा रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 94/5 की कुल तादादी 4.0480 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.4420 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर